न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट कक्ष सं02,इटावा।

परिवाद सं0 172/2019

सी0एन0आर0नं0 यू0पी0ई0डब्लू–01–002704–2019

रामस्वरूप बनाम राजेन्द्र सिंह

दि0– 18.01.2020

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। पूर्व तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

मैनें पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने धारा 156(3)दं0प्र0सं0 में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 25.05.2018 द्वारा थाना कोतवाली,इटावा में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गयी। बाद विवेचना उक्त मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसके विरूद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पेटीशन को न्यायालय के आदेश दिनांकित 04.06.2019 द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया और अंतिम रिपोर्ट निरस्त की गयी।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों को समर्थित करते हुये परिवादी रामस्वरूप ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0संहिता में कहा है कि वह कोरी जाति का है। अभियुक्त यादव जाति का है। वर्ष 1989 में उसने बालेश्वर दयाल से 800वर्ग फीट की आराजी,20''X 40'' फुट लालपुरा अस्तल स्थित को मुब0 6000/– रू0 में क्रय किया था तथा कब्जा प्राप्त किया था। दो साल बाद राजेन्द्र ने जानवर बांधने के नाम पर जगह उससे मांग ली तब से वे जानवर बांधते हैं। दिनांक 10.1.18 को राजेन्द्र सिंह उसके प्लाट पर कब्जा कर खूंटा गाड़ रहा था। मना करने पर उससे कहा कि प्लाट का नाम लिया तो जान से उड़ा देगा। यह घटना सुबह 9 बजे की है। उसने जान से मारने की बात कही थी और कुछ नहीं कहा।

परिवादी के उक्त बयान को साक्षी सी0डब्लू0–1 बृजेश कुमार एवं सी0डब्लू0–2 राजवीर ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0 संहिता से समर्थित किया है।

परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0संहिता व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0संहिता में प्रस्तावित अभियुक्त के द्वारा परिवादी को गाली व जान से मारने की धमकी देना तथा जाति सूचक शब्द से सम्बोधित करना अभिकथित है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने प्रश्नगत प्लाट को प्रस्तावित अभियुक्त के पक्ष में विक्रीत करने हेतु दिनांक 20.6.12 को मुब0 15,000/–रू0 विक्रय मूल्य प्राप्त कर विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया है। परिवादी ने स्वयं कहा है कि प्रस्तावित अभियुक्त ने प्रश्नगत प्लाट उससे मांगा था जो उसने दे दिया था। ऐसी दशा में परिवादी के प्लाट पर प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा आपराधिक अतिचार करना प्रथमदृष्टया साबित नहीं होता है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा– 504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस) एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट का आपराधिक मामला बनता हुआ पाया जाता है। अतः उसे उक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त राजेन्द्र सिंह को धारा– 504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर)व (एस) एससी/एसटी(पी.ए.) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु दिनांक–15.02.2020 के लिये समन द्वारा तलब किया जाये ।

परिवादी धारा–204 दं0प्र0संहिता के अनुसार यथेष्ठ पैरवी अन्दर 10 दिन करें।

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट
न्यायालय,कक्ष संख्या–2,इटावा।
18.01.2020

CMM